न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
32 / 2020	18.09.2020	18.11..2022

/ /उनवान/ /

1 सुखराम पुत्र छाजूराम जाति जाट निवासी ग्राम बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें श्रीमान तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः– श्री लालाराम यादव – वकील प्रार्थि

निर्णय

दिनांक– 18.11.2022

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। पार्थी के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 141/0.60 के 1/3 दर 3/5 हिस्सा वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर प्रार्थी के हक हिस्सा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिसके बाबत हाल जमाबंदी में नाम मुखराम पुत्र छाजूराम दर्ज हो रहा है जो गलत है जबकि प्रार्थी के समस्त पहचान के दस्तावेजात सुखराम पुत्र छाजूराम नाम से है निवेदन करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत अंकित गलत नाम मुखराम को हजफ किया जाकर सही नाम सुखराम पुत्र छाजूराम दर्ज कराये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी तहसीलदार मुण्डावर द्वारा जवाब पेश हुआ जिसके मुताबिक प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नकल जमाबंदी सैटल[illegible] परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड की छाया प्रतियां एवं [illegible]ण चौधरी तथा सुखराम के पेश किये है जो शामिल पत्रावली [illegible]

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। [illegible] के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थी [illegible] छाजूराम है तथा पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में भी सुखराम पुत्र छाजूराम के नाम से ही अंक[illegible] रहा है जिसके बाबत नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 पेश होकर शामिल पत्रावली है लेकिन पाश्च्यावर्ती जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी के सुखराम बजाय मुखराम पुत्र छाजूराम नाम का अंकन हो गया जो ताहाल चला आ रहा है तथा प्रार्थी के समस्त पहचान के दस्तावेजात में भी सुखराम पुत्र छाजूराम नाम का ही अंकन है जिसके लिए प्रार्थी ने ताईद स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नकल जमाबंदी सैटलमेंट एवं नकल जमाबंदी 2033 तथा परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड की छाया प्रतियां एवं शपथपत्र प्रवीण चौधरी तथा सुखराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (अलवर) राज0

के पेश किये है जो शामिल पत्रावली है अभिकथन करते हुये प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन रहा।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में परस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के हाल आराजी ख0नं0 141/0.60 के 1/3 दर 3/5 हिस्सा वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर के बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम मुखराम पुत्र छाजूराम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं मुखराम के बजाय सुखराम पुत्र छाजूराम के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **18.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

18-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested